

प्रेषक,  
गिरीश चन्द्र,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
आयुक्त एवं सचिव,  
राजस्व परिषद, उ0प्र0  
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय:- विभिन्न अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार विभिन्न अनावासीय निर्माण कार्यों के नाम के सम्मुख अंकित कार्यों की लागत, जिसका कुल योग रू0 77.52 लाख है, के आधार पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए कुल रू0 77.52 लाख (रूपये सत्हत्तर लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त कार्य कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से कराया जायेगा। राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।
- (2) निर्माण कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की जायेगी जिसका समय-समय पर जिला स्तरीय गुणवत्ता सेल टास्क्फोर्स द्वारा स्थलीय सत्यापन भी प्रत्येक माह में किया जायेगा तथा प्रत्येक माह गुणवत्ता की सत्यापन रिपोर्ट सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राजस्व परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाय कि अनुमोदित आगणन/स्वीकृत धनराशि से अधिक का कार्य कदापि न कराया जाय और न ही स्वीकृत धनराशि का डाइवर्जन किसी दूसरे मद में किया जाय अन्यथा इनका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
- (3) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है।
- (4) कार्य की लागत/आगणन का परीक्षण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर लोक निर्माण विभाग के स्क्षम स्तर के अधिकारियों से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय नियमानुसार कार्य की वास्तविक लागत के आधार पर करने के उपरांत यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व यथावश्यक निष्प्रयोज्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए निष्प्रयोज्य सामग्री को नियमानुसार निस्तारित करने के उपरान्त उससे प्राप्त होने वाली धनराशि को राजकोष में तत्काल जमा कराया जायेगा। कार्यान्वयन के समय मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
- (6) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (7) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (8) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।
  - (9) यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय कि कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप उच्चकोटि की हो तथा निर्माण कार्य समयान्तर्गत सम्पादित हों तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्य की मानीटरिंग भी सुनिश्चित की जाय।
  - (10) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही कर लिया जाय।
  - (11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समयपर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
  - (12) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
  - (13) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पीओएलओएओ में नहीं रखा जायेगा।
  - (14) स्वीकृत लागत में ही कार्य पूर्ण कराया जाये। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-02-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण/विस्तार/पुर्ननिर्माण/ सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-3-1840/दस-2014-100(4)/2002-ब0मै0, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
गिरीश चन्द्र,  
अनु सचिव।

**संख्या-5/2017/1777(1)/एक-5-2016-41/2016, तद्विनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 5- आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/जिलाधिकारी, हरदोई/रामपुर।
- 6- प्रबंधक निदेशक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0/सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक।
- 7- राजस्व अनुभाग-6
- 8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,  
गिरीश चन्द्र,  
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-5/2017/1777(2)/एक-5-2016-41/2016, दिनांक 03 जनवरी, 2017 का संलग्नक  
अनावासीय कार्य

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य की लागत	स्वीकृत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1-	आयुक्त कार्यालय गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर में बना प्रेक्षागृह की मरम्मत एवं वातानुकूलन) ए0सी0) का कार्य।	31.60	31.60
2-	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कार्यालय हरदोई का जीर्णोद्धार कार्य	17.05	17.05
3-	जनपद रामपुर में जिलाधिकारी आवास/शिविर कार्यालय जिलाधिकारी रामपुर का जीर्णोद्धार कार्य	28.87	28.87
अनावासीय कुल योग		77.52	77.52

(रूपये सत्हत्तर लाख बावन हजार मात्र)

गिरीश चन्द्र,  
अनु सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।